

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोथोसन्ट कन्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(v) आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का कार्य करे।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशेषों के अनुक्रम ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन न किया जाय। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन न किया जाय। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) आगमन में उल्लिखित दरों का विवरण विभाग के अधीन आगमन आदेशों का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) आगमन में उल्लिखित दरों का विवरण विभाग के अधीन आगमन आदेशों का अनुमोदन आवश्यक होगा।

अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

कें अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 383/III(1)/19-190(PWD)01टी.सी.-1 दिनांक 05.2.2020 का परिपालन किया जाय। उक्त परिपालन रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय। उक्त व्ययव्यवस्था विवरण परियोजना रिपोर्ट के आधार पर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायगी। विवरण किया जायगा तदनुसार शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की भी आवश्यकता निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) - उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की भी आवश्यकता निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सं 04 कार्यों हेतु कुल ₹ 0.40 लाख (चौ बालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवेदन पर रखे करतें हुए, बालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (को दस हजार मात्र) की दर आधिकारपूर्वक धनराशि ₹ 15.00 लाख (को पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय की स्वीकृति प्रदान मागों की कुल लम्बाई 10.00 कि०मी० एवं लगतल ₹ 99.05 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत पाई जाय संलग्न विवरणानुसार विवरण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगमनों, जिनमें मोटर उपरिक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, महोदय,

विभाग-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊदप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केंदरनाथ के विभाग-04 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

लोक निर्माण आगमन-2
 देहरादून।
 प्रमुख अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग,
 देहरादून।
 प्रमुख सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।
 प्रमुख कुमार सुधाश्री

देहरादून दिनांक 7 नवंबर, 2022

ई-फाइल सं०-28022

24/11/22
 श्री अमर सिंह
 प्र. प्र. स. विभाग
 23/11/22
 श्री
 ADIC/

9355
 SSO/III

प्रमुख अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 देहरादून
 18.11.2022

जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एन0पी0वी0, पी0सि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक अथवा अनुदान सं0-22 के संयुक्त लेखाशीर्षक/मानकमदों/उपमदों में विभागीय आयव्यय में प्रतिवर्षित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवसुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष बालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाली व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा संतुर्गों पर पूर्णित परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेंटर-0302 तथा निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे जाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित कमांक 1/73595/2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2022 में प्रदत्त सहमति के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Sunderbhanu Brijmohan Kumar
Sudhanshu

प्रतिनिधि निम्नलिखित को संवनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
Date: 17-11-2022 11:20:46

1. आयुक्त महालेखाकार (लेखा प्रथम), कौलागढ़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पी0डी।
4. जिलाधिकारी, ऊदप्रयाग।
5. मुख्य अभियन्ता, लॉजिस्टि0, पी0डी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय संचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिष्ठाण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गांधीपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊदप्रयाग।
11. गाढ़ बृक।

स्थान सिंह
संयुक्त सचिव

E-File No. 28022 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लाखाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमानित अवधुत की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊदप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमनि में महाधार से कामक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) लाखाई 2 (किमी. प्रथम चरण)	2.00	3.00
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊदप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमनि में सौरगाँव सौलभरटगांव मोटर मार्ग के व्यक्त से बावई अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक निर्माण लिक का नव निर्माण (प्रथम चरण) लाखाई 2 (किमी. प्रथम चरण)	2.00	3.00
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊदप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमनि में मणिगढ़ स्थालजोग खाली मोटर मार्ग के खाली से खाली पाटवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) लाखाई 3 (किमी. प्रथम चरण)	3.00	4.50
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊदप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमनि में मणिगढ़ स्थालजोग खाली मोटर मार्ग के के धूलवाही बंध से गवनी शरडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) लाखाई 3 (किमी. प्रथम चरण)	3.00	4.50
	योग	10.00	15.00
			0.40

(कुल रु. वालीस हजार मात्र)

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

Signed by Shyam Singh
Date: 17-11-2022 14:52:42

कर्मचारी प्रशासन विभाग
 उत्तराखण्ड सरकार
 24-11-22

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गीधेवर
3. अधीक्षापी अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊदप्रयाग।
4. अधीक्षापी अभियन्ता, आईटीओईल विभाग, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड करने का कष्ट करे।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभाग, कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

23/11/22
 24/11/22
 24/11/22

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

पत्रांक-943 / 20 याता'क'/2022 दिनांक-24.11.2022

Web-http://govt.na.nic.in/pwd


Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

"नियोजन-1" उल्लेखित देहरादून

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग, लोक निर्माण विभाग

phone/Fax:- 0135-2531154/2530431

E-mail: eicpwduk@nic.in



Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(Thousand Only)

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का खर्च	योग
53-वृहद निर्माण	1500000	40000	0	1540000
योग	1500000	40000	0	1540000

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सिंचनी पर पूंजीगत

04-जिला तथा अन्य सड़क

परिचय

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

आवंटन पत्र संख्या -1/77009/2022
 आवंटन संख्या -022

आवंटन आई टी-522110220035
 आवंटन पत्र दिनांक-17-NOV-2022

Secretary-Secretary, PWD(S038)
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

